राज्यत्सभा

तारांकित प्रशनत संख्या*182

03 अगस्तप़ 2016 को उत्त र के लिए

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित भूमि

182* **श्री वि. विजयसाई रेड्डी:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिन लोगों की भूमि विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित की गई थी, उन लोगों को सरकार ने यह वचन दिया था कि प्रत्येक परिवार को संयंत्र में एक स्थायी नौकरी दी जाएगी;

(ख) अंतत: ऐसी कितनी नौकरियां इस इस्पात संयंत्र में दी गई हैं;

(ग) क्या ऐसे कई परिवारों को इस इस्पात संयंत्र से कभी कोई लाभ नहीं मिला जिनकी भूमि अर्जित की गई थी;

(घ) उन परिवारों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं जिनकी संयंत्र के लिए अर्जित भूमि के लिए सरकार ने वचन दिया था; और

(ङ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा स्थानीय लोगों को राहत और मुआवजे का वचन देकर उसे पूरा न किए जाने के संपूर्ण घटनाक्रम की समीक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाये जाएंगे?

उत्तङर

इस्पा2तमंत्री **(श्री चौधरी बीरेन्द्र् सिंह)**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

“विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित भूमि” के बारे में श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य, द्वारा राज्य सभा में दिनांक 03 अगस्तत्र 2016 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *182 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ड.): विशाखापट्टनम इस्पा त संयंत्र (वीएसपी) के लिए भूमि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भू-स्वासमियों / विस्थाएपित व्यखक्तियों को प्रतिपूर्ति और पुनर्स्थारपना लाभ प्रदान किये गये हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वीएसपी ने 5,000 व्य क्तियों के लिए सहमति की तुलना में 7473 विस्थाइपित व्यिक्तियों को रोजगार प्रदान किया है।

***